



कार्यालय प्राचार्य, इंजीनियरिंग महाविद्यालय, नौगाँव
जिला-छतरपुर(म.प्र.) - 471201
(म.प्र. शासन द्वारा वर्ष 2012 में स्थापित)

फोन(ऑफिस):07685-292217, 292218

फैक्स:07685-292217

ईमेल:enggcollegenowgong@rediffmail.com

वेबसाइट:www.necnowgong.in

क्र०/ई०सी०एन०/कार्या०/2021/2039

नौगाँव दिनांक

24/02/2021

// प्रथम वर्षीय पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति वर्ष 2020-21 में दस्तावेज संबंधी सूचना //

वर्ष 2020-21 में प्रथम वर्ष एवं लेटरल एण्ट्री वर्ष में प्रवेशित एस.सी./एस.टी. एवं ओ०बी०सी० वर्ग के विद्यार्थी, जो पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत शिक्षण शुल्क में छूट या छात्रवृत्ति प्राप्त करना चाहते हैं वे mp_scholarship_portal_2.0 के माध्यम से ऑन लाइन आवेदन करे एवं हार्ड कॉपी प्रिंट करके निम्नलिखित दस्तावेजों सहित **संस्था के पुस्तकालय में जमा करने की दिनांक 06/03/2021 तक जमा करे।** अन्यथा पूरा शिक्षण शुल्क जमा करना पड़ेगा एवं छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिल सकेगा।

एस०सी०/एस०टी० एवं ओ०बी०सी० पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति फार्म के साथ निम्नलिखित दस्तावेज निम्न क्रम में संलग्न करे-

1. पिता के नाम से डिजिटल आय प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
2. पिता/माता (एक अथवा दोनों की) शासकीय सेवक होने की स्थिति में नियोजक द्वारा प्रदाय किया हुआ फॉर्म-16 की अनिवार्य रूप से छायाप्रति जमा करे।
3. विद्यार्थी के नाम की बैंक पासबुक की छायाप्रति आई०एफ०एस०सी० कोड सहित।
4. आधार कार्ड की छायाप्रति।
5. समग्र आई०डी० की छायाप्रति।
6. EKYC आधारकार्ड नं० को खाते से लिंक कराना अनिवार्य है।
7. डिजिटल स्थायी जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
8. मध्यप्रदेश का डिजिटल मूल निवासी प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
9. फीस रसीद की छायाप्रति।
10. एडमिशन रसीद की छायाप्रति।
11. नवीन आवेदक छात्र/छात्राएँ दसवीं एवं बारहवीं की अंकसूची की छायाप्रति।
12. लेटरल एण्ट्री के छात्र/छात्राएँ डिप्लोमा एवं दसवीं की अंकसूची की छायाप्रति।
13. छात्र/छात्राएँ सभी सेमेस्टर की अंकसूची की छायाप्रति।
14. छात्र/छात्रा का कक्षा में 75 प्रतिशत उपस्थिति का प्रमाण पत्र।
15. **समस्त छात्र/छात्राओं को टी०सी० की छायाप्रति जमा करना अनिवार्य है।**
16. समस्त विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए अपना आधार कार्ड अपने बैंक खाते से लिंक कराने का प्रपत्र/Annexure A अनिवार्य है।
17. एस०टी०/एस०सी० विद्यार्थियों को छात्रावास संबंधी घोषणा पत्र, प्रारूप-3 अनिवार्य है।

नोट-

1. यदि संबंधित छात्र/छात्रा द्वारा उपरोक्त वर्णित दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज त्रुटिपूर्ण अथवा अप्राप्त रहता है तो प्रथम दृष्टया उनका छात्रवृत्ति हेतु आवेदन ऑन लाइन प्रक्रिया में निरस्त कर दिया जायेगा। जिसके लिए छात्र/छात्राएँ पूर्णतः स्वयं जिम्मेदार होंगे। छात्र/छात्रा अपना मोबाइल नं० एवं ई-मेल आई०डी० अवश्य लिखे ताकि छात्रवृत्ति फॉर्म में कोई कमी या त्रुटि होने पर आपको सूचित किया जा सके।
2. समस्त विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि पात्र योजनाओं का लाभ लेने वाले विद्यार्थी यदि किसी भी प्रकार की कोई भी गलत जानकारी देते पाये जाने पर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक/वैधानिक कार्यवाही की जायेगी समस्त जबाबदारी स्वयं की होगी।



कार्यालय प्राचार्य, इंजीनियरिंग महाविद्यालय, नौगाँव
जिला-छतरपुर(म.प्र.) - 471201
(म.प्र. शासन द्वारा वर्ष 2012 में स्थापित)

फोन(ऑफिस) 07685-292217, 292218

फैक्स 07685-292217

ईमेल: enggc.collegenowgong@rediffmail.com

वेबसाइट: www.necnowgong.in

3. किसी भी छात्र को एक पाठक्रम के लिए कोई एक छात्रवृत्ति दी जा सकती है। अतः ऐसे छात्र जो पूर्व में किसी अन्य छात्रवृत्ति का लाभ ले रहे हैं उन्हें इस छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी।
4. समस्त विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर उसका खाता नंबर संस्था में जमा करें। कियोस्क बैंक एवं जन-धन खाते का उपयोग न करें।

प्राचार्य

इंजीनियरिंग महाविद्यालय
नौगाँव, जिला-छतरपुर (म0प्र0)

नौगाँव दिनांक

पृ0क्रं0 / ई0सी0एन0 / कार्या0 / 2020 /
प्रतिलिपि-

1. समस्त विभागाध्यक्ष (सिविल इंजी0 एवं मैके0 इंजी0) विभाग की ओर विद्यार्थियों को सूचित करने हेतु।
2. वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
3. नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

प्राचार्य

इंजीनियरिंग महाविद्यालय
नौगाँव, जिला-छतरपुर (म0प्र0)